मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11– 9/2011/1–10 भोपाल, दिनांक 04/06/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
संमस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

विषयः–निविदा में भ्रष्टाचार की रोकथाम बावत्।

–0–

माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा–16 के अंतर्गत शासन को निम्नानुसार सुझाव दिया है :–

"किसी भी निविदा प्रकाशन के पूर्व समस्त प्रोजेक्ट, ड्राइंग, डिजाइन, स्पेशिफिकेशन, अनुमानित मात्रा एवं अन्य कोई तकनीकी परीक्षण/जांच जो संबंधित निविदा विषय पर अत्यन्त आवश्यक हो उसे निविदा प्रकाशन के पूर्व ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी निविदा प्रकाशन के पूर्व उक्तानुसार समस्त स्थिति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि अनावश्यक रूप से निविदा निरस्त करने से उत्पन्न आरोप/अभिकथनों से बचा जा सके और पारदर्शी प्रकिया की स्थिति सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि अनावश्यक रूप से निविदा जारी किये जाने में विभागीय समय के अपव्यय तथा निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा तैयार कर प्रस्तुत करने में समय और धन के अपव्यय से रोका जा सके।"

2/ शासन द्वारा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में निविदा के प्रकाशन के पूर्व उपरोक्त सुझाव के अनुसार यथासंभव पूर्ण कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 04/06/2011

क्रमांक क्रमांक एफ 11– 9/2011/1–10

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, कार्यालय की ओर उनके जावक कमांक सी.एस./जनरल–सी.पी. 1533 दिनांक 19/04/2011 के संदर्भ में.
2. सचिव, लोकायुक्त संगठन, भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक 203/जां.प्र. 16/10 दिनांक 15/04/2011 के संदर्भ में.
3. स्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

C:\Documents and Settings\MANISH\My Documents\GAD-10\HLT saify.doc-94